न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज0)

मु.नं. 65/18

सरकार बनाम श्री : रामस्वरूप पुत्र नारायण
जाति गुर्जर नि. कुतकपुर

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 14/09/18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act 1956 इस आशय की पेश की गई कि अतिक्रमी श्री रामस्वरूप पुत्र श्री नारायण जाति गुर्जर निवासी कुतरपुर तहसील महवा ने संवत 2075 फसल रवि/ खरीफ मे ग्राम कुतकपुर की राजकीय आराजी खसरा नं. 163 रकबा 0.09 किस्म गै.मु.रास्ता भूमि से 0.03 रकबा पर अनाधिकृत रूप से बाजरा कर अतिक्रमण किया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहा है अतः अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.84 का 50 गुना 42रु. राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है तथा इस पर खडी फसल बाजरा को नीलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसूली हेतु पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक को बेदखली तथा खडी फसल को नष्ट /नीलामी हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर ... के पेज नं. 20 117
वर्ष 2018 में पेनल्टी/फाइन ... की राशि तादादी रुपये 42/-
की जमा कायमी की गई। 30
दिनांक तहसील राजस्व लेखाकार तहसील-महवा

तहसीलदार
तहसीलदार महवा (दौसा)

तहसीलदार
तहसील महवा जिला दौसा